संख्या--1767/सम--73--2013

प्रेषक,

अजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना(डास्प),
गोमती नगर, लखनऊ।

समन्वय अनुभाग   लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2013

विषयः--वित्तीय वर्ष 2013--14 में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के कियान्वयन हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या--1445/डास्प/2012, दिनांक 03 अक्टूबर 2013 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या--बी--1--640/दस--2013-- 231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रशासनिक व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013--14 के आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 12.00 करोड़(रूपये बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 6.00 करोड़(रूपये छः करोड़ मात्र) की प्रथम किस्त शासनादेश संख्या--644/सम--73--2013, दिनांक 06--05--2013 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2013--14 के आय--व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 12.00 करोड़(रूपये बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 6.00 करोड़(रूपये छः करोड़ मात्र) की द्वितीय किस्त की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

(1) विभागों हेतु स्वीकृत धनराशि से मदवार आवंटन परियोजना समन्वयक डास्प के स्तर से किया जाएगा तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड--5, भाग--2 में उल्लिखित प्राविधानों में मितव्ययता सम्बन्धी समय--समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि डास्प की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय की जाएगी, जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, उन्हीं मदों पर व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाएगा तथा आहरित धनराशि बैंक में नहीं रखी जाएगी।

3-- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013--2014 के अनुदान संख्या-- 11 आयोजनागत के लेखाशीर्षक--"2401--फसल कृषि कर्म--109--विस्तार तथा किसानों

drive-d/vip jon/akhilesh/g.o.

को प्रशिक्षण–97–यू०पी० डाईवर्सीफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट–फेज–II,(विश्व बैंक पोषित)–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–640/दस–2013–231, दिनांक 28 मार्च, 2013 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजय कुमार उपाध्याय
विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर,
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या–1767(1)/सम–73–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा व हकदारी प्रथम व द्वितीय, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4– वित्त(व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–1/नियोजन अनुभाग–3/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1,
5– कृषि अनुभाग–3
6– श्री खान मोहम्मद आसिफ खान, प्रिन्सिपल सिस्टम एनालिस्ट, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा को वेबसाइट पर लोड करने हेतु।
7– वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

drive-d/vip jon/akhilesh/g.o.